मुख्यमंत्री भजनलाल ने नवरात्र स्थापना पर पूजा की

जयपुर, 22 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में सपत्नीक विधिवत रूप से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-शांति और समृद्ध जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि शक्ति और सेवा की प्रतीक मां दुर्गा का

- **प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख-शांति और समृद्ध जीवन की कामना की।**

आशीर्वाद सदैव प्रदेश पर बना रहे, यही प्रार्थना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे और सभी ने एकजुट होकर मां दुर्गा से प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री शर्मा ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व आत्मशक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमें सत्कर्म और सेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नवरात्रि के शुभारम्भ पर मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में पत्नी के साथ पूजा की।

भारत अंतरिक्ष में 50 बॉडी गार्ड सैटलाइट भेजेगा

नई दिल्ली, 22 सितंबर। भारत अब अंतरिक्ष में मौजूद अपने उपग्रहों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। इस योजना का मकसद दुश्मन देशों के उपग्रहों से होने वाले संभावित हमलों को रोकना है।यह कदम इसलिए तेजी से उठाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक विदेशी उपग्रह भारत के एक उपग्रह के बेहद करीब आ गया था।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ऐसे बॉडीगार्ड उपग्रहों को बनाना चाहती है, जो भारतीय उपग्रहों के आसपास रहकर उन्हें खतरे से बचा सकें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहचान सकें। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि 2024 के मध्य में एक पड़ोसी देश का उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक उपग्रह के महज एक किलोमीटर पास से गुजरा। यह इसरो का वो उपग्रह था, जो धरती पर निगरानी और मानचित्रण जैसे काम कर रहा था, जिनका उपयोग रक्षा क्षेत्र में भी होता है। उपग्रहों की टक्कर नहीं हुई लेकिन जानकारों का मानना है कि यह इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। यानी दूसरा देश अंतरिक्ष में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। इस घटना ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरिमक्ष मौजूद खतरे को उजागर कर दिया।

'अब समय आ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रखा था, जब सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

वर्तमान मानहानि मामला "द वायर" की एक खबर से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि प्रोफेसर अमिता सिंह जेएनयू के उन शिक्षकों के समूह की अगुवाई कर रही थीं जिन्होंने एक 200 पन्नों का डोज़ियर तैयार किया था, जिसमें जेएनयू को "व्यवस्थित देह व्यापार का अड्डा" बताया गया था।

खबर के अनुसार, इस डोज़ियर का शीर्षक था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलगाववाद और आतंकवाद का अड्डा।

इस लेख में यह भी कहा गया था कि यह डोज़ियर जेएनयू प्रशासन को सौंपा गया था, जिसमें कुछ शिक्षकों पर भारत में अलगाववादी आंदोलनों को वैधता देकर जेएनयू में पतनशील संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।

"द वायर" के लेख के अनुसार, प्रोफेसर सिंह इस डोज़ियर को तैयार करने वाले शिक्षकों के समूह की अगुवाई कर रही थीं।(इसके बाद वर्ष 2016 में प्रोफेसर सिंह ने द वायर और उसके रिपोर्टर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

फरवरी 2017 में एक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में पोर्टल को समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उस समन को रद्द कर दिया था और मजिस्ट्रेट को समाचार लेख की जांच के बाद नया फैसला लेने का निर्देश दिया था।

इस वर्ष जनवरी से, मजिस्ट्रेट ने फिर से द वायर और इसके राजनीतिक मामलों के संपादक अजॉय आशीरवाद महाप्रस्थ को समन जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 मई को उस समन को सही ठहराया, जिसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है।

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मामले के लम्बे समय से लंबित रहने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, आप इसे कब तक घसीटते रहेंगे? इस पर सिब्बल ने कहा, इसी तरह का मामला राहुल गांधी का भी विचाराधीन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया।

बिहार के चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन बिहार, जहाँ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के मुद्दों का राजनीति में दबदबा रहता है, वहां कानूनी पहलुओं से ज्यादा अहमियत राजनीतिक नैरेटिव की होती है। हालिया विवादों के चलते, अडानी समूह विपक्ष को एक ताकतवर मुद्दा देता दिख रहा है।

2023 में "हिंडनबर्ग रिसर्च" द्वारा स्टॉक हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोपों के अलावा, कम्पनी कई गलत कार्यों के सिलसिले में खबरों में रही है। गत वर्ष अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड और रिश्वत के आरोप (सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े) लगाये गये थे। इसके अलावा, इन रिपोर्टों पर भी बहुत हो-हल्ला हुआ था कि अडानी ग्रुप इज़रायल को ड्रोन निर्यात कर रहा है।

इससे पूर्व, भाजपा-शासित असम में, ग्रामवासियों ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन करते हुये आरोप लगाये थे कि अडानी ग्रुप "वन संरक्षण कानूनों" का उल्लंघन कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा को डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, एनडीए, और विशेष रूप से पीएम मोदी की ओर से, पूर्वी राज्य की सत्ता में बने रहने के लिये, आक्रामक चुनावी रणनीतियाँ सामने आने की उम्मीद है।

लेकिन फिलहाल, विपक्ष के हौसले बुलंद है।

90 करोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए। आरोपियों ने जमानत अर्जी में कहा था कि उन्हें केस में झूठा फंसाया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

पाक वायुसेना ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बम गिराये। ग्रामीणों का कहना है कि इस बमबारी से गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। बारुद से जले शव घरों और सड़कों पर बिखरे पड़े हैं।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन आरोपों की गहन जांच की मांग की है, और सशस्त्र संघर्ष के कानूनों का सम्मान करने, नागरिकों की सुरक्षा और किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है।

सेना का कहना है कि इन हमलों का टारगेट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का बम बनाने वाला ठिकाना था। लोकल पुलिस ने मीडिया को बताया कि टीटीपी के दो कमांडर, अमान गुल और मसूद खान बम बनाकर मस्जिदों में छिपा रहे थे।

जीएसटी दरों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले इस अर्थशास्त्री ने इस तरह की टैक्स प्रणाली पर गहरी पकड़ बनाई और लगातार मेहनत की।

देशभर में एक समान वस्तु कर लगाने का विचार आसानी से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन सेवाओं पर कर लगाने को लेकर दिक्कत थी, सबसे बड़ा सवाल था कि किन सेवाओं पर टैक्स लगाया जाए। शुरुआत में केवल कुछ सेवाओं पर कर लगाया गया, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर लगभग सभी सेवाओं तक पहुँचा दिया गया, यहाँ तक कि टेंट वालों तक। आखिरकार, जब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार सत्ता में आई, तब तक नई जीएसटी लागू करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। ज़रूरत केवल केन्द्र और राज्यों में राजनीतिक सहमति की थी। मज़े की बात है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस विचार का राजनीतिक विरोध किया था। लेकिन समय के साथ जब मोदी केन्द्र में प्रधानमंत्री बने, तो उनकी सरकार ने इसे लागू करने में अगुवाई की।जैसा कि होता है, जीएसटी प्रणाली की शुरुआत में कई गड़बड़ियाँ और दिक्कतें आईं। पूरी प्रणाली के लिए एक मज़बूत आईटी ढांचे की ज़रूरत थी और शुरुआती महीनों और सालों में इसमें बार-बार दिक्कतें आती रहीं। सौभाग्य से, समय के साथ ये समस्याएँ दूर हुईं और जीएसटी ने अच्छे नतीजे देने शुरू कर दिए। अब, जब नई दरें लागू हो रही हैं, तो सौभाग्य से देश में इस समय त्योहारों का सबसे बड़ा मौसम है, शायद जानबूझकर ऐसा समय चुना गया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि कैसे जीएसटी व्यवस्था में बदलाव से आम लोगों को राहत और खुशी मिलेगी और सरकार के बजाय, उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा।

दिल्ली दंगे मामले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाओं पर सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, ए एम सिंघवी और अन्य की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया।

इन छात्रों को दंगों में एक बड़ी साज़िश रचने के आरोप में यू.ए.पी.ए. के तहत गिरफ़्तार किया गया था। खालिद और अन्य 2020 से दंगों के सिलसिले में जेल में हैं। पुलिस के मुताबिक, दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। अधिवक्ता सिंघवी ने अदालत से अंतरिम ज़मानत याचिका पर भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता छात्र हैं जो पाँच साल से जेल में हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने मामले में जल्द सुनवाई की माँग की, ताकि पाँच साल से जेल में बंद याचिकाकर्ता दिवाली से पहले बाहर आ सकें।

इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मुख्य याचिका पर ही विचार करेगी। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए सात अक्टूबर निर्धारित की है।

पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले स्थगित कर दी गई थी क्योंकि पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति मनमोहन, सिब्बल के चैंबर से जुड़े होने के कारण सुनवाई से अलग होना चाहते थे।

चीन ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रंप के एच-1बी वीज़ा का तोड़ निकालते हुए चीन ने अपनी वीज़ा कैटेगरी में 'के वीज़ा' को शामिल करने का फैसला किया है। इस वीज़ा के जरिए चीन दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी से जुड़े प्रोफेशनल्स को बुलाने की तैयारी में है।

चीनी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 'के वीज़ा' से जुड़े नए नियम आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। बता दें कि चीन में पहले से 12 तरह के वीज़ा मिलते हैं। वहीं, अब इस लिस्ट में 'के वीज़ा ' का नाम भी शामिल होने वाला है।

चीन के 12 अन्य वीजा की तुलना में 'के वीज़ा ' बिल्कुल अलग होगा। 'के वीज़ा ' के जरिए चीन में एंट्री लेने वाले लोग शिक्षा, कल्चर, विज्ञान और तकनीकी के अलावा बिजनेस जैसे क्षेत्रों में हिस्सा ले सकेंगे।

हालांकि, यह वीज़ा हासिल करने के लिए चीन कुछ योग्यताएं निर्धारित करेगा। इसके लिए वीजा धारक को कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।चीन कुछ विशेष आयु वर्ग वाले, बेहतर शिक्षा, योग्यता और अनुभवी लोगों को ही 'के वीज़ा ' देगा।

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को नोटिस

नयी दिल्ली, 22 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद में 12 जून, 2025 को हुए एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना मामले की शीर्ष अदालत की निगरानी और नियंत्रण में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केन्द्र और अन्य को सोमवार को नोटिस जारी किया। इस दुर्घटना में 260 लोगों की मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कैप्टन अमित सिंह द्वारा स्थापित विमानन सुरक्षा एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन की याचिका केंद्र सरकार और अन्य से जवाब जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें देते हुए वकील प्रशांत भूषण ने दुर्घटना के लिए पायलटों को दोषी ठहराने वाली रिपोर्टों का मुद्दा उठाया।

एच-1बी वीज़ा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक अन्य वीडियो में विमान के कैप्टन को यात्रियों को संबोधित करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वे मौजूदा स्थिति को "अभूतपूर्व" बताते हैं और कहते हैं कि जो यात्री उतरना चाहते हैं, वे उतर सकते हैं।

कैप्टन ने कहा, "लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यह आपके कैप्टन की आवाज़ है। मौजूदा हालात, जो हमारे लिए भी अभूतपूर्व हैं, को देखते हुए हमें जानकारी है कि कुछ यात्री इस उड़ान में यात्रा नहीं करना चाहते। यह बिल्कुल स्वीकार्य है। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि आप उतरना चाहते हैं, तो कृपया ऐसा कर सकते हैं।"

इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए एक यूज़र ने बताया कि कैसे घबराहट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, विशेष रूप से भारतीय यात्रियों के बीच।

एक यूज़र ने लिखा, इस शुक्रवार सुबह, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर एमिरेट्स यात्रियों के लिए हालात बिल्कुल अफरातफरी वाले हो गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो नए और मौजूदा एच-एन बी वीज़ा धारकों, दोनों को प्रभावित करता है। इससे कई लोग, खासकर भारतीय यात्री, घबरा गए और उन्होंने विमान से उतरने का फैसला किया।"

उसने यह भी दावा किया कि विमान तीन घंटे तक वहीं रुका रहा और बाकी यात्री बस उड़ान के प्रस्थान का इंतज़ार करते रहे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने एच-वन बी वीज़ा शुल्क में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा: "इस कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका में अस्थायी, उच्च-कुशल कर्मचारियों को लाना था, ताकि वे मौजूदा अमेरिकी वर्कफोर्स के पूरक बन सकें। लेकिन इसका जानबूझकर दुरुपयोग किया गया है, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों कीजगह कम वेतन और कम कौशल वाले श्रमिकों को लगाया जा सके।"

MARUTI SUZUKI ARENA

त्योहारों की ख़ुशी
अब हुई और बड़ी

GST लाभ और सीमित अवधि फैस्टिव ऑफ़र्स के साथ
30 सितंबर, 2025 तक मान्य

MODEL	S-PRESSO	ALTO K10	CELERIO	WAGONR	SWIFT	DZIRE	BREZZA	ERTIGA	EECO
REDUCTION IN PRICE^ (₹) UP TO	129 600	107 600	94 100	79 600	84 600	87 700	112 700	46 400	68 000
NOW STARTING AT^ (₹)	349 900	369 900	469 900	498 900	578 900	625 600	825 900	880 000	518 100
ADDITIONAL FESTIVE OFFERS* (₹) UP TO	60 000	70 000	65 000	75 000	70 000	5 000	56 000	7 500	45 000

BOOK NOW — UP TO 100% PROCESSING FEE WAIVER ON CAR FINANCE#

ARENA SAFETY SHIELD

SCAN TO CONNECT TO SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM

Contact us at 1800-102-1800

T&C available at dealership. Features/accessories vary by variant. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. *Offers / Prices differ by variant/model/location/city and may change or end without notice. Includes consumer, exchange, and institutional/rural offers (where applicable) on select models. Offer values shown are maximums. Prices subject to GST rates as notified by the Government. ^Reductions and starting prices vary by variant. #Valid with select financiers, for personal-use vehicles only.

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908